

23875

संख्या:- /सात लाई०-एस-149/व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र/2025-26

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: फरवरी 17, 2026

विषय:- वर्ष 2026-27 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु हैसियत प्रमाण व अन्य प्रपत्र निर्गत किय जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय) निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात् लॉटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु आवेदक को मदिरा दुकान के प्रतिवर्ष कुल राजस्व के 15% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण-पत्र प्रारूप जी-39 व चरित्र प्रमाण पत्र को समय से निर्गत होना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए इच्छुक आवेदकों द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने पर उनको निर्धारित प्रारूप जी-39 में हैसियत प्रमाण-पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
०१८ उत्तराखण्ड।

23876

संख्या:- /सात लाई०-एस-149/व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र/2025-26 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त,
०१८ उत्तराखण्ड।